न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—302/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

प्रभुदयाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री अन्नाराम उर्फ अन्नू जाति खाती निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राज.
2. सोनू कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राज.।
3. मंजू पत्नि श्री नारायण पुत्री श्री महेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज.।
4. बनारसी पत्नि श्री मोहन लाल पुत्री श्री महेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज.।
5. पुष्पा पत्नि श्री सोनू पुत्री श्री महेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी सरदारपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. सुमन पत्नि श्री पंकज पुत्री श्री महेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी सरदारपुरा तहसील व जिला श्री गंगानगर राज.।
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री सुशील कुमार — वकील वादी
2— श्री देवेन्द्र सिह तंवर — वकील प्रति सं. 1 ता 6

निर्णय दिनांक :— 21.10.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रकिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद र्शीषक मे दर्ज है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 13 एमकेएस पटवार हल्का शेरगढ़ तहसील संगरिया के खाता संख्या 92/84 खाता खेताराम में 0.974 है. कृषि भूमि व चक 16 एफटीपी पटवार हल्का शेरगढ़ के खाता संख्या 113/96 खाता बृजलाल वगैरहा में 1.771 है. कृषि भूमि इस प्रकार दोनो खातो में कुल 2.155 है. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सख्या 2 मे वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति है जो प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 को कृषि भूमि अपने पिता से प्राप्त होने के कारण वादी का कृषि भूमि पर विरासतन हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से कुल 2.155 है. कृषि भूमि है जिसमे प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 द्वारा अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में परित्याग किया हुआ है। प्रतिवादी

संख्या 3 ता 6 द्वारा अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में परित्याग करने के बाद वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा बनता है जो वादी की जद्दी जायदाद होने के कारण कृषि भूमि मे वादी का जन्मतः हक व हिस्सा बनता है। वादी इसी आश्य की घोषणा प्राप्त करने का अधिकार व दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे चलकर वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होना मानते हुए राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवा देवे पहले तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करते रहे अन्त मे कल ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउन्अर क्लेम पेश किया गया। काउन्टर क्लेम के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश। प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की ओर से न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया गया। इकबाल दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश। प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी की ओर से साक्ष्य वादी में प्रभुदयाल की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। साथ ही वकील वादी ने सरपंच ग्राम पंचायत मल्लड़खेड़ा की ओर से महेन्द्र के विधिक वारिसान तस्दीक हेतु जारी वारिस प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर निम्नानुसार प्रदर्श करवाये :–

1. चक 13 एमकेएस की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 92/84 खाता खेताराम वगेरा प्रदर्श–1
2. चक 16 एफटीपी की जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 113/96 खाता बृजलाल वगेरा प्रदर्श–2
3. चक 13 एमकेएस की जमाबन्दी (खतौनी) सम्वत 2058 खाता संख्या 108/100 खाता हजारी वगेरा प्रदर्श–3
4. चक 16 एफटीपी की जमाबन्दी (खतौनी) सम्वत2057 खाता संख्या 2/2 खाता अना वल्द राजू वगेरा प्रदर्श–4

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 13 एमकेएस पटवार हल्का शेरगढ़ तहसील संगरिया के खाता संख्या 92/84 खाता खेताराम में 0.974 है. कृषि भूमि व चक 16 एफटीपी पटवार हल्का शेरगढ़ के खाता संख्या 113/96 खाता बृजलाल वगैरहा में 1.771 है. कृषि भूमि इस प्रकार दोनो खातो में कुल 2.155 है. कृषि भूमि दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 13 एमकेएस की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 92/84 खाता खेताराम वगेरा प्रदर्श–1 व चक 16 एफटीपी की जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 113/96 खाता बृजलाल वगेरा प्रदर्श–2, चक 13 एमकेएस की जमाबन्दी (खतौनी) सम्वत 2058 खाता संख्या 108/100 खाता हजारी वगेरा प्रदर्श–3 चक 16 एफटीपी की जमाबन्दी (खतौनी) सम्वत2057 खाता संख्या 2/2 खाता अना वल्द राजू वगेरा प्रदर्श–4 प्रमाणित जमाबन्दी पेश की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी ने वारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसनामा के अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 13 एमकेएस पटवार हल्का शेरगढ़ तहसील संगरिया के खाता संख्या 92/84 खाता खेताराम में 0.974 है. कृषि भूमि व चक 16 एफटीपी पटवार हल्का शेरगढ़ के खाता संख्या 113/96 खाता बृजलाल वगैरहा में 1.771 है. कृषि भूमि इस प्रकार दोनो खातो में कुल 2.155 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 13 एमकेएस की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 92/84 खाता खेताराम वगेरा प्रदर्श–1 व चक 16 एफटीपी की जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 113/96 खाता बृजलाल वगेरा प्रदर्श–2, चक 13 एमकेएस की जमाबन्दी (खतौनी) सम्वत 2058 खाता संख्या 108/100 खाता हजारी वगेरा प्रदर्श–3 चक 16 एफटीपी की जमाबन्दी (खतौनी) सम्वत2057 खाता संख्या 2/2 खाता अना वल्द राजू वगेरा प्रदर्श–4 करवाई गई जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने सहमति का जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के इकबाल दावा पेश किये है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के काउन्टर क्लेम का वादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया इसलिए काउन्टर क्लेम एव वाद वादी मुताबिक सहमति के इकबाल दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति के इकबाल दावा के आधार पर वादी का वाद तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउन्टर क्लेम निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 13 एमकेएस पटवार हल्का शेरगढ़ तहसील संगरिया के खाता संख्या 92/84 खाता खेताराम में 0.974 है. कृषि भूमि व चक 16 एफटीपी पटवार हल्का शेरगढ़ के खाता संख्या 113/96 खाता बृजलाल वगैरहा में 1.771 है. इस प्रकार दोनो खातो में कुल 2.155 है. भूमि मे से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 302/2019

1 प्रभुदयाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री अन्नाराम उर्फ अन्नू जाति खाती निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राज.
2. सोनू कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राज.।
3. मंजू पत्नि श्री नारायण पुत्री श्री महेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज.।
4. बनारसी पत्नि श्री मोहन लाल पुत्री श्री महेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज.।
5. पुष्पा पत्नि श्री सोनू पुत्री श्री महेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी सरदारपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. सुमन पत्नि श्री पंकज पुत्री श्री महेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी सरदारपुरा तहसील व जिला श्री गंगानगर राज.।
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

– प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुशील कुमार वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री देवेन्द्र सिह तंवर वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 13 एमकेएस पटवार हल्का शेरगढ़ तहसील संगरिया के खाता संख्या 92/84 खाता खेताराम में 0.974 है. कृषि भूमि व चक 16 एफटीपी पटवार हल्का शेरगढ़ के खाता संख्या 113/96 खाता बृजलाल वगैरहा में 1.771 है. इस प्रकार दोनो खातो में कुल 2.155 है. भूमि मे से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.10.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.25 17:41:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: